Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

# अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

## अमित कुमार बनाम अरविन्द वगै.

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा 275 /2023

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.9.2023 | आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को रजि. एडी. जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की जारी की जाती है कि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही महाजन के खसरा नम्बर 2031 तादादी 5.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2051 तादादी 6.1200 हैक्टेयर, खसरानम्बर 2060 तादादी 1.2400 हैक्टेयर कुल तादादी 12.4000 हैक्टेयर भूमि जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है उक्त भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करे तथा मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 06.11.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | जारी 2136 / 25/10/23 |
| 6/11/23 | पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 8/01/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर | |
| 8/1/24 | पत्रावली पेश हुई। पी.अ. अवकाश, अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 26/02/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर | |
| 26/02/24 | बार एसोसियेशन द्वारा आज अदालती कार्य को स्थगित रखा गया है। पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/06/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 18/06/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता नेतराम सियाग द्वारा अर्जी। जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA जरिये विड्रा कर खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा स्वीकार किया जाता है। पत्रावली हाजा स्टेज पर जरिये विड्रा खारिज की जाती है पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर | (हस्ताक्षर) |